—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 4/2018

उनवान

1. शिवदत्त पुत्र रामकिशन
2. प्रकाश पुत्र रामकिशन
3. छोटी पत्नी रामकिशन समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देराठू नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

2. राधाकिशन पुत्र गोपी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देराठू नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादी :— अनुपस्थित

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 1365 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

दिनांक :— 20.2.25

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू में वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
3079	4—11—10	3294 मिन	4—11—10	5127	1.63
3080	5—11—10	3214 मिन	5—11—10		
3096	7—10—0	3310	7—10—0	5143	0.06
				5144	0.35
				5147	0.02
				5148	1.15

उपरोक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 3079, 3080 व 3096 के मूल खातेदार भूरा पुत्र ज्वारा ब्राह्मण थे। जमाबंदी सन् फसली 1349 में खातेदार दर्ज थे। भूरा पुत्र ज्वारा की मृत्यु हो गयी है। उंकार के दो लडके सोनारायण व ज्वारा हुये, ज्वारा के लडका भूरा अविवाहित फौत हो गया। सोनारायण के पुत्र गोपी की मृत्यु हो गयी, जिसके वारिस रामकिशन व राधाकिशन हुये। रामकिशन के वारिस वादीगण है। तथा राधाकिशन प्रतिवादी संख्या 2 है। आराजी आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 कर आधा—आधा हक है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 5143, 5144, [illegible]148 नियमानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज कर दिया गया [illegible] 5127 रकबा 1.63 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज [illegible] सिवायचक दर्ज कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:43 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गया। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है, तथा अन्यत्र हसतोतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहा। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि फसली सन 1349 में चौसाला खसरा नम्बर 3079 व 3080 भूरा पुत्र ज्वारा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी का वंर्किग खसरा नम्बर 3294 रकबा 10–3–0 बना है। वंर्किग जमाबेंदी व हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक दर्ज है। वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया है कि आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 3079, 3080 व 3096 के मूल खातेदार भूरा पुत्र ज्वारा ब्राह्मण थे। जमाबंदी सन् फसली 1349 में खातेदार दर्ज थे। आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 कर आधा–आधा हक है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 5143, 5144, 5147, 5148 नियमानुसार राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज कर दिया गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 5127 रकबा 1.63 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 3079 रकबा 4–11–10 वं 3080 रकबा 5–11–10 के वंर्किग खसरा नम्बर 3294 व हाल खसरा नमबर 5127 रकबा 1.63 बने है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा की चौसाला जमांबदी व वंर्किग जमाबंदी पेश नही की है। राज. पैरोकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि वंर्किग व हाल राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायवक दर्ज है। सन् फसली अजमेर जिले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू दिनांक से पूर्व का अभिलेख है। वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू दिनांक की चौसाला जमाबंदी पेश नही की है। चौसाला जमाबंदी में आराजी मुताजा वादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज नही थी। उनके द्वारा अपने वाद के कथनों को सिद्व करने हेतु दस्तावेजी व अभिलेखिय दस्तावेज पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की पुश्तैनी सिद्व नही होती है। वादीगण ने उक्त आराजी उनके पूर्वज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:37:43 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नाम खातेदारी होने का कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नही किया है। वादग्रस्त आराजी के खातेदारी के कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नही किये है। चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा वादीगण अथवा उसके पिता के नाम खातेदारी अंकित नही हैं। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि विधिवत रूप से सिवायचक अंकित है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व करने के लिये खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पेश नही की है। वादीगण द्वारा वाद के समर्थनं कोई साक्ष्य भी पेश नही की है। साक्ष्य व दस्तावेज के अभाव में आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नमबर 5127 रकबा 1.63 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शिवदत्त बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 4/2018
पेश करने की दिनांक – 03.01.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नमबर 5127 रकबा 1.63 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:57:43 IST
Reason: SelfAttested